

Ref No. NPCC/PMGSY/2024-25/379

Date: -25/03/2025

To,
Divisional Forest Officer
Badrinath Van Prabhag, Gopeshwar
District- Chamoli

Subject: Construction of Tharali to Paingarh motor road- regarding compliance of the EDS

Ref 1) 8 बी /यू सी पी /06/54/2019/एफ सी /281 dated 31/05/2023

Dear sir,

It is to mention that regional office, ministry of environment, forest, climate change, gov. of india, has raised queries on the forest proposal of the above mentioned subject work. For the same, you have sought clarification on the point no. 3 and point no. 4 from us.

Point wise replies of the raised queries are as mentioned below:

Reply of point no.1- Revised CA estimate, prepared by forest department is attached with this letter (**Annexure 1**).

Reply of point no.2- Copy of notification of proposed CA area as RF/PF is attached with this letter (**Annexure 2**).

Reply of point no.3- In compliance of condition no-1 of stage-I approval, copy of mutation record is attached with this letter(**Annexure 3**).

Reply of point no.4- In addition to this, it is to mention that the motor road has been constructed along the surveyed alignment by the forest department. All the trees were marked and felled along this alignment prior to the construction. Due to clerical error, the incorrect KML is uploaded on the online portal (i.e parivesh.nic.in). correct alignment in the KML is attached herewith this letter.

Thanking you



Sr. Manager (C)
NPCC Limited
Uttarakhand Office
UP, Zone

CC:

02. Superintendent Engineer, PMGSY, Gopeshwar circle, H.O-Gauchar- for your information
03. Zonal Manager, NPCC Ltd, UK Zone- for your information
04. Sr. Manager (engg.), NPCC Ltd, UK Zone for information

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना

1- परियोजना का नाम - जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली से पैनगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.812 है० वन भूमि का एन०पी०सी०सी०पी०आइ०यू० थराली को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

2- वृक्षारोपण स्थल का नाम - ग्राम पैनगढ़ सिविल भूमि।

3- परियोजना का क्षेत्रफल है० में 9.624 ha

4- रोपित किये जाने वाले पौधों की कुल संख्या 9.624 x 1100 10586 No.

5- रोपित की जाने वाली प्रजातियां - बांज, कचनार, दाडिम, आंवला आदि

क्र.स.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर		धनराशि (रु० में)
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य) :-						
1	साइट स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमाकेशन, कै०एम०एल० फाईल तैयार	9.624	ha	1118.00	ha	10759.63
2	क्षेत्र की सफाई (साधारण झाड़ियां)	5.500	ha	1908.06	ha	10494.33
3	दीवाल बन्दी कार्य/फैन्सिंग	311.818	cum	745.72	ha	232528.62
4	पौध की कीमत प्रथम	10586	no	19.00	no	201141.60
5	गद्दा खुदान कार्य (0.30 x 0.30 x 0.45)meter size	10586	no	12.48	no	132113.28
6	कन्टूर नाली का सीमांकन एवं खोदना व ड्रैसिंग (3.00x0.45 x 0.30)meter size	207.878	Cum	311.96	cum	64849.75
7	निरीक्षण बटिया	450.000	sqm	29.49	sqm	13270.50
प्रथम वर्ष का योग						665157.71
द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण कार्य) :-						
1	गड्डा भरान	10586	no	2.27	no	24030.22
2	पौध की कीमत	10586	no	5.02	no	53143.73
3	पौध रोपण	10586	no	4.54	no	48060.44
4	निराई गुड़ाई प्रथम बार	10586	no	3.12	no	33028.32
5	निराई गुड़ाई द्वितीय बार	10586	no	2.72	no	28793.92
6	खाद/रसायन	10586	no	0.35	no	3705.10
7	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह	9.624	ha	15814.00	ha	152193.94
8	साईन बोर्ड लगाना (3x4 फीट) सम्पूर्ण कार्य	9.624	ha	1000.00	ha	9624.00
द्वितीय वर्ष का योग						352579.66
तृतीय वर्ष :- अनुरक्षण कार्य						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
2	10 प्रतिशत पौधों (2 वर्ष की पौध) की क्षतिपूर्ति (कीमत व ढुलान का मूल्य) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा।	1059	no	42.17	no	44658.03
3	निराई गुड़ाई प्रथम बार	10586.00	no	3.12	no	33028.32
4	निराई गुड़ाई द्वितीय बार	10586.00	no	2.72	no	28793.92
योग तृतीय वर्ष -						334771.17
चतुर्थ वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
योग चतुर्थ वर्ष -						228290.90

क्र.स.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर		धनराशि (रु० में)
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
पंचम वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
योग पंचम वर्ष -						228290.90
छठा वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
योग छठा वर्ष -						228290.90
सातवां वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
योग सातवां वर्ष -						228290.90
आठवां वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
योग आठवां वर्ष -						228290.90
नौवां वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
योग नौवां वर्ष -						228290.90
दसवां वर्ष :-						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	9.624	ha	23721.00	ha	228290.90
योग दसवां वर्ष -						228290.90

सारांश

क्र० सं०	वर्ष	कुल व्यय (रुपये में)
1	प्रथम वर्ष	665157.71
2	द्वितीय वर्ष	352579.66
3	तृतीय वर्ष	334771.17
4	चतुर्थ वर्ष	228290.90
5	पंचम वर्ष	228290.90
6	छटा वर्ष	228290.90
7	सातवां वर्ष	228290.90
8	आठवां वर्ष	228290.90
9	नवां वर्ष	228290.90
10	दसवां वर्ष	228290.90
कुल योग		2950544.87
या		2950054.00


 वन क्षेत्राधिकारी
 मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
 बंदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत थराली से पैनगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.812 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड कर्णप्रयाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु जिलाधिकारी चमोली की पत्र सं० 1195/छब्बीस-31(2018-2019) दिनांक 26.11.2019 से ग्राम पैनगढ़, तहसील थराली खसरा सं० 276 रकवा 3.712 है० एवं खसरा सं० 1304 रकवा 1.808 है०, कुल 5.520 है० भूमि, नॉनजेडए श्रेणी-9(3)इ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि तथा खसरा सं० 2011 रकवा 1.874 है० व खसरा सं० 8382 रकवा 1.452 है०, एवं खसरा सं० 2383 रकवा 0.778 है०, कुल 4.104 है० नॉनजेडए श्रेणी 10(4) भीटा अर्थात् कुल है० 9.624 है० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है, अधिसूचना सं० 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं० 1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली से पैनगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.812 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 9.800 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव तकनीनकी अधिकारी(वानिकी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/54/2019/एफ०सी०/704 दिनांक 02.7.2019 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी थराली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली से पैनगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.812 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम पैनगढ़, रा०उ०नि० क्षेत्र एवं तहसील थराली की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-24 के खसरा सं०-276 रकबा 3.712 है०, खसरा सं०-1304 रकबा 1.808 है० कुल 5.520 है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है एवं ख०खा०सं०-33 के खसरा सं०-2011 रकबा 1.874 है०, खसरा सं०-2382 रकबा 1.452 है० एवं खसरा सं०-2383 रकबा 0.811 है० भूमि मध्ये 0.778 है० कुल 4.104 है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-10(4) भीटा के रूप में दर्ज है, अर्थात् कुल 9.624 है० सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(III) /2012-18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस० मदीरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 6099 छबीस-31 (2018-2019) गोपेश्वर: दिनांक: 16 अगस्त, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, थराली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. प्रबन्धक, एनपी०सी०सी० लि०, पी०एम०जी०एस०वाई०वॉर्स, पीआईयू, थराली।

A. E.
NPCCLTD.

A. E.
NRSECLTD.

जिलाधिकारी,
चमोली।

Sl. No.	Particulars	1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभिव्यक्ति								
2	अभिव्यक्ति								
3	अभिव्यक्ति								
4	अभिव्यक्ति								
5	अभिव्यक्ति								
6	अभिव्यक्ति								
7	अभिव्यक्ति								
8	अभिव्यक्ति								
9	अभिव्यक्ति								
10	अभिव्यक्ति								
11	अभिव्यक्ति								
12	अभिव्यक्ति								
13	अभिव्यक्ति								
14	अभिव्यक्ति								
15	अभिव्यक्ति								
16	अभिव्यक्ति								
17	अभिव्यक्ति								
18	अभिव्यक्ति								
19	अभिव्यक्ति								
20	अभिव्यक्ति								

A. E.
NPCC LTD.

(Signature)
Date: 11/11/19

कालम - 17

क्र०स०	परियोजना का नाम	याचक विभाग का नाम	परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल	भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या	दिनांक	वन भूमि सापेक्ष वन विभाग की दी जाने वाली चिह्नित सिविल सोयम भूमि का ग्राम वार विवरण	तहसील का नाम	वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित हेतु क्षेत्रफल हे० में	कुल योग	पट्टी	ग्राम सभा	रि न्हेत भूकिक का खसरा नम्बर	सीमा विवरण			
													पूरुब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	पी०एम०जी०एस० वाई० योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकास खण्ड धराली में धराली से पैनागड मोटर मार्ग का निर्माण स्टेज - I	एन० पी०सी०सी०	4.812 हे०	(एल०-०२२) पी०-१७०२४ /२४/२०१७ - आर०सी० (एफ०एम०ए० सी० ३५५९७८) दिनांक - २५/४/१८	२५.०४.२०१८	पैनागड	धराली	९.६२४ हे०	९.६२४ हे०	पिंडर वार वल्ला	पैनागड	१३	१४ चट्टान राज्य भूमि पिण्डर नदी नदी जंगल पैनागड नाला	१५ राज्य भूमि राज्य भूमि नाम खेत राज्य भूमि जंगल राज्य भूमि पिण्डर नदी	१६ नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि	१७ नाम खेत राज्य भूमि उत्तराखण्ड डसरकार बजर राज्य भूमि मूल व राज्य भूमि नदी

(Signature)
तहसीलदार

(Signature)
जयपुर

(Signature)
NPCC LTD.

(Signature)
A. E.
NPCC LTD.

(Signature)
J. E.
NPCC LTD.

⑩

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली से पैनगढ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.812 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु चयनित सिविल भूमि का विवरण।

क्र०सं०	भूमि का प्रकार	खेत न०	कुल रक्वा	चयनित क्षेत्रफल
1	चट्टान / उत्तराखण्ड सरकार	2382	1.452 है०	1.452 है०
2	चट्टान / उत्तराखण्ड सरकार	2383	0.810 है०	0.778 है०
3	चट्टान / उत्तराखण्ड सरकार	2011	1.874 है०	1.874 है०
4	बंजर / उत्तराखण्ड सरकार	1304	1.808 है०	1.808 है०
5	बंजर / उत्तराखण्ड सरकार	276	3.712 है०	3.712 है०
योग:-			—	9.624 है०

AAE

Assistant Engineer
Rural Works Department
P.M.G.S.Y
Division - Kamprayag

Executive Engineer
RWD PMGSY
Karanprayag

उपनिर्देशक
राज्य परिवहन विभाग
सं. १०३३
तहसील.....
जनपद-चमोली

तहसीलदार
तहसीलदार

उपनिर्देशक
थराली

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनु०-3 के शासनादेश सं०-883 (i)/x-3-2011-8(21)/2010 दिनांक 04 अक्टूबर 2011 के शासनादेश संख्या 2882/XVIII/11-18(120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के अनुसार थराली से पैनगढ मोटर मार्ग में अधिगृहीत सिविल भूमि की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 2-12-17 का तहसील स्तरीय कमेटी के द्वारा किया गया। प्रस्तावित क्षेत्रफल ग्राम पैनगढ खाता ख०सं० 2382 रक्वा 1.452 है 2383 रक्वा 0.814 है 0 0.778 है 0 कूल भूमि 2.230 है 0, खसरा सं० 2011 रक्वा 1.874 है 0 एवं 1304 रक्वा 1.808 है 0 कुल 3.682 है 0 एवं ख०सं० 276 रक्वा 3.712 है 0 कुल सम्पूर्ण भूमि 9.624 है 0 उपयुक्त है।

भूमि राज्य सरकार की श्रेणी 9 (3) ड में दर्ज कागजात है एवं सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज नहीं है।

प्रस्तावित क्षेत्रफल उक्त खसरा न० कुल अर्जित रक्वा 9.624 है 0 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम पैनगढ सिविल भूमि पटवारी-थराली तहसील-थराली जिला चमोली की उक्त भूमि वन विभाग के हक में संस्तुति की जाती है।

BAE

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई०
उपखण्ड-कर्णप्रयाग

अधिशायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड-कर्णप्रयाग

सि० (उ०) (चमोली)
सि० (उ०) (चमोली)

तहसीलदार

तहसीलदार
थराली

उपजिल्हाधिकारी
उपजिल्हाधिकारी
थराली

उपजिल्हाधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बडीनाथ वन प्रमाण गणेश्वर

कायापि उ० बि० र० गी० उ० - प० न०, २१० ए० २००० २००० - ००००
 न० सं० - १२२४२ १४२९ न०

1	2	3	4	5	6	7
			6594.138			
			6605.808			
	योग -		06	11.464		
	श्री १(३) का -		06	11.464		
	श्री १(३) का -					
	श्री १(३) का -					
024- बजट			127 0.461			
			128 0.023			
			135 0.025			
			136 0.013			
			137 0.055			
			138 0.005			
			178 0.015			
			276 3.712			
			284 0.023			
			345 0.025			
			351 0.005			
			357 0.030			
			358 0.030			
			546 0.010			
			684 0.003			
			685 0.005			

Signature
 2024/07

8	8146.248	रिवाज (1000)	25
	8300.039	-11-	
	848 0.011	-11-	
	907 0.013	रिवाज (1000)	
5	1117 0.238	रिवाज (1000)	30
	1140 0.128	रिवाज (1000)	
	1172 0.080	रिवाज (1000)	
	1193 0.038	-11-	
	1210 0.010	-11-	
	1235 0.030	-11-	
10	1255 0.168	-11-	35
	1261 0.035	-11-	
	1304 1.808	-11-	
	1440 0.036	-11-	
	1443 0.004	-11-	
15	1503 0.041	रिवाज (1000)	40
	1938 0.241	रिवाज (1000)	
	1956 0.034	-11-	
	1988 0.276	-11-	
	1994 0.326	-11-	
20	1997 0.215	-11-	45
	2015 0.015	रिवाज (1000)	

10 रीटो परिषद/407-1000000 काग (कम्प्यूटर / ऑफिसर)।

रिवाज (1000)
R.S.K. (100)

मूलख प्रपत्र सं० ५-11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
			2033	0.040	का				
			2040	0.040	-n-				
			2046	0.038	-n-				
			2058	0.006	-n-				
			2313	0.041	का				
			2343	0.055	-n-				
			2374	0.003	-n-				
			कुल- 45	8.697	का				

नोट:- सामान्य कांति 20 रकतों का नाम प. 8,

21/12/12

व. सं. ... कांति ...
 व. सं. ... कांति ...
 दि.

8 100 10 4-11

10/10/20 29/11/21 20/11/20

2	3	4	5	6	8	1	2	3	4	5	6	7	8
2	10(2)	33	1.55	6.80									
	10(3) :- कर्मचारियों का शासनाधीन धार - कोई नहीं												
	10(4) :- पचास कार्यों से आक्रान्त भूमि :-												
033	चढ़ान	274	0.835										5
		275	0.141										
		420	0.954										
		539	0.271										
		547	0.455										
10		550	0.778										10
		600	0.030										
		678	0.028										
		645	0.261										
		647	0.103										
15		681	0.095										15
		734	0.020										
		736	0.005										
		741	0.005										
		742	0.015										
		745	0.020										
20		746	0.024										20
		796	0.119										
		813	0.416										
		278											


20/11/20
R.S. (IT)

		✓ 2011 1.874	
		2013 0.403	
		2285 0.218	
		2300 0.120	
		✓ 2382 1.452	
		✓ 2383 0.811	
		<u>योग- 25 9.45380</u>	

नोट: संकल/काम्यादि आदि रो खेती आसत है,

दिनांक 2/12/2017

बं० सं० ... अश्वनी
बहुस ... अश्वनी
दिनांक-अश्वनी



Silaudi
सिलौदी

Paingadh
पैनाढ़

Dewal Gwar
देवल ग्वार

Maltura
मल्लतुरा

Kulsari
कुलसारी

Suside point
सुसीदे पाँइंट

Meltha
मलता

jholi
झोली

Alkot
अल्कोट


Deval
देवल

संयुक्त निरीक्षण आख्या

प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक संख्या 37/12-1/ के अनुपालना के क्रम में आज दिनांक 10/09/2024 को एन पी सी सी के कनिष्ठ अभियंता श्री प्रदीप सिंह व कनिष्ठ अभियंता श्री राहुल सिंह तथा वन विभाग से श्री रमेश चन्द्र भंडारी, वन दरोगा एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी, वन रक्षक द्वारा थराली से पेनगढ़ मोटर मार्ग पर संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर यह पाया गया कि मोटर मार्ग के किमी 06 में स्थित पहाड़ी से वृहद स्तर पर भूस्खलन होने से मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस स्थान पर मानसून 2021-2022 के दौरान भूस्खलन हुआ था एवं तब से बरसात के दौरान निरंतर पहाड़ी से मलबा गिरता रहता है।


इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि जिस संरेखण में छपान एवं कटान का कार्य किया गया है उसी संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण का कार्य भी किया गया है। अतः मौके पर मोटर मार्ग के संरेखण में कोई भिन्नता नहीं पाई गयी है।

आख्या महोदय के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित



कनिष्ठ अभियंता
प्रयोक्ता एजेंसी


प्रबंधक
प्रयोक्ता एजेंसी


वन दरोगा
मध्य पिंडर रेंज थराली


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिंडर रेंज थराली
बट्टीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

PMGSY WORKS
NPCC Ltd. Chamoli (U.K.)


J. C. M.
चौधरी

Ref no. NPCC/PMGSY/ 380

Date: 25/03/2025

सेवा में,
श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

विषय: जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत थराली से पैनगड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.812 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: 8बी/यू0सी0पी0./0654/2019/एफ.सी./704 dated 14/102020/

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0 06/54/2019/एफ.सी./704 dated 02/0720/19 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी। अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

क्र . सं	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.624 हे0 ग्राम पैनगंड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षा रोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	शुद्ध वर्तमान दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की प्रयोक्त अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त मान्य है।
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधिया(CA Cost, NPV etc) को वेब पोर्टल पर Online generate किए गए चालन के माध्यम द्वारा उचित अनलाइन बैंक में जमा किये जाए,अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	शर्त मान्य है।
4	सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सभत हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	उक्त बिंदु वन विभाग सम्बंधित है।
अन्य आवश्यक शर्तें		
बिन्दु संख्या I	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा। प्रतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु चयनित 9.624 हे0 ग्राम पैनगंड सिविल सोयम भूमि को 6 माह के अंदर भारतीय वन अधिनियम , 1927 के	शर्त मान्य है।

	अंतर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाएगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फिट ऊँचे आर०सी०सी० पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा जिनपन forward एवं back bearing अंकित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	शर्त मान्य है।
6	परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र के वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी	शर्त मान्य है।
7	वन भूमि का प्रयोग में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा तथा किसी भी परिसतिथि में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना transfer नहीं किया जाएगा।	
8	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 365 से अधिक न हो।	शर्त मान्य है।
9	सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख रेख में strip plantation की जाएगी।	शर्त मान्य है।
10	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण परियोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मालवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वन अधिकारी के देख रेख में किया जाएगा एवं निष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	शर्त मान्य है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है।
12	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी कि जिम्मेवारी होगी।	शर्त मान्य है।
13	यदि अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	शर्त मान्य है।

वरिष्ठप्रबंधक
एन पी सी सी
उत्तर प्रदेश जोन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड को सूचनार्थप्रेषित
- 2जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थप्रेषित
- 3जोनल मैनेजर,एन.पी.सी.सी, उत्तराखंडजोन, देहरादूनको सूचनार्थप्रेषित



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

G20

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-२५८९ / FP/UK/ROAD/27734/2017 : देहरादून: दिनांक 16 मई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली-पैनगढ मोटर मार्ग कि०मी० 7.00 से कि०मी० 11.725 तक के निर्माण हेतु 4.812 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/54/2019/एफ०सी०/704, दिनांक 02-07-2019।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में वरिष्ठ प्रबन्धक, पी०आई०यू०, एन०पी०सी०सी० लिमिटेड के पत्रांक NPCC/PMGSY/THARALI/11 दिनांक 01.05.2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त शर्त मान्य है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त शर्त मान्य है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त शर्त मान्य है।
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा राई गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागत 29,50,054.00 की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं (संलग्नक-1)
1. शर्त संख्या-5 शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रु० 40,66,140.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
5. अन्य आवश्यक शर्त के अनुपालन में शर्त संख्या 01 एवं 12 तक प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है। (संलग्नक-3)
6. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रस्ताव की हार्ड प्रति मूल में पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या-२५८९ / FP/UK/ROAD/27734/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,



NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
(A Govt. Of India Enterprises)
Uttarakhand Office, UP Zone, Dehradun

Ref No. NPCC/PMGSY/2024-25/379

Date:-25/03/2025

To,
Divisional Forest Officer
Badrinath Van Prabhag, Gopeshwar
District- Chamoli

Subject: Construction of Tharali to Paingarh motor road- regarding compliance of the EDS

Ref 1) 8 वी /यू सी सी /06/54/2019/एफ सी /281 dated 31/05/2023

Dear sir,

It is to mention that regional office, ministry of environment, forest, climate change, govn. of india, has raised queries on the forest proposal of the above mentioned subject work. For the same, you have sought clarification on the point no. 3 and point no. 4 from us.

Point wise replies of the raised queries are as mentioned below:

Reply of point no.1- Revised CA estimate, prepared by forest department is attached with this letter (**Annexure 1**).

Reply of point no.2- Copy of notification of proposed CA area as RF/PF is attached with this letter (**Annexure 2**).

Reply of point no.3- In compliance of condition no-1 of stage-I approval, copy of mutation record is attached with this letter(**Annexure 3**).

Reply of point no.4- In addition to this, it is to mention that the motor road has been constructed along the surveyed alignment by the forest department. All the trees were marked and felled along this alignment prior to the construction. Due to clerical error, the incorrect KML is uploaded on the online portal (i.e parivesh.nic.in). correct alignment in the KML is attached herewith this letter.

Thanking you

Sr. Manager (C)
NPCC Limited
Uttarakhand Office
UP, Zone



CC:

02. Superintendent Engineer, PMGSY, Gopeshwar circle, H.O-Gauchar- for your information
03. Zonal Manager, NPCC Ltd, UK Zone- for your information
04. Sr. Manager (engg.), NPCC Ltd, UK Zone for information